

अध्याय 9

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा

(क) अधिदेश

113. सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का अधिदेश

अधिनियम की धारा 19 के अनुसार सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार उनके द्वारा निष्पादित और प्रयोग किये जाएंगे।

(ख) सामान्य प्रावधान

114. सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स आफ इंडिया मानकों का लागू होना

सरकारी कम्पनियों या मानी गई सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा करते समय इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स आफ इंडिया (आई सी ए आई) द्वारा जारी लेखाकरण मानकों और मानक लेखापरीक्षा पद्धतियों को ध्यान में रखा जाएगा।

115. बोर्ड और अन्य समितियों की बैठकों की कार्यसूची नोट और कार्यवृत्त की प्रतियों का प्रेषण

प्रत्येक कम्पनी जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन है, अपने निदेशक बोर्ड, बोर्ड स्तर समितियों तथा लेखापरीक्षा समिति यदि गठित की गई हैं, की बैठकों के कार्यसूची नोट और कार्यवृत्त की प्रतियाँ महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को भेजेगी।

116. सरकार द्वारा सरकारी कम्पनी या मानी गई सरकारी कम्पनी के गठन और बंद करने की सूचना देना

संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग नयी सरकारी कम्पनी या मानी गई सरकारी कम्पनी के गठन के बारे में लिखित रूप में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सूचित करेंगे और उसके निगमीकरण के एक महीने के अंदर उसके निगमीकरण के प्रमाण पत्र की प्रति अग्रेषित करेंगे। यदि सरकारी कम्पनी या मानी गई सरकारी कम्पनी बंद हो गई हो, तो भी संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग ऐसी घटना के एक महीने के अंदर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सूचित करेंगे। प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग किसी कम्पनी के सरकारी कम्पनी या मानी गई सरकारी कम्पनी होने के बारे में ऐसी घटना के एक महीने के अंदर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सूचित करेंगे।

117. सरकारी कम्पनी या मानी गई सरकारी कम्पनी द्वारा अपने गठन की सूचना देना

सरकारी कम्पनी या मानी गई सरकारी कम्पनी अपने निगमीकरण के एक महीने के भीतर शेयरधारिता विन्यास, प्रबंधन के ब्यौरे और संस्था के संगम ज्ञापन और संस्था के अन्तर्नियम की एक प्रति के साथ गठन के बारे में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सूचित करेगी। इसी

प्रकार विद्यमान कम्पनी के मामले में कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत सरकारी कम्पनी या मानी गई सरकारी कम्पनी होने के बारे में सूचना तथा अन्य ब्यौरे और दस्तावेज ऐसी घटना के एक महीने के अंदर कम्पनी द्वारा भेजे जाएंगे।

(ग) सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति

118. सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति

सरकारी कम्पनी या मानी गई सरकारी कम्पनी का सांविधिक लेखापरीक्षक, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत लेखापरीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए योग्य व्यक्तियों में से नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किया जाएगा। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक यथानिर्धारित चयन की प्रक्रिया के माध्यम से एक वित्तीय वर्ष के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति करेंगे और उसके पश्चात्, निम्नलिखित विनियम के अध्वधीन, एक-एक वर्ष के आधार पर पुनः नियुक्त करेंगे जब तक विशेष परिस्थितियां दीर्घ अवधि के लिए नियुक्ति का औचित्य प्रमाणित नहीं करती। प्रारम्भिक नियुक्ति सहित नियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया चार वित्तीय वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए। नियुक्ति ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्वधीन होंगी, जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जाए।

119. संतोषजनक निष्पादन के अध्वधीन सांविधिक लेखापरीक्षक की पुनर्नियुक्ति

सांविधिक लेखापरीक्षक की पुनर्नियुक्ति नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के संबंध में उसे जारी निर्देशों के अनुपालन के स्तर सहित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार निर्धारित पूर्व वर्ष/वर्षों में लेखापरीक्षा समनुदेशन के संतोषजनक निष्पादन के अध्वधीन होगी।

120. सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा स्वीकृति की सूचना

सांविधिक लेखापरीक्षक अपनी नियुक्ति की सूचना जारी होने की तारीख से तीन सप्ताह के अंदर लिखित रूप में लेखापरीक्षा समनुदेशन की स्वीकृति नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को भेजेगा, जिसमें विफल होने पर नियुक्ति प्रस्ताव बिना किसी सूचना के रद्द कर दिया जाएगा।

121. सामान्य अवधि की समाप्ति के पहले नियुक्ति को समाप्त करना

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति की सामान्य अवधि की समाप्ति के पहले नियुक्ति को, समयपूर्व समाप्ति के प्रति अभिवेदन प्रस्तुत करने के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक को एक अवसर देने सहित, प्रशासनिक प्रक्रिया के विधिवत अनुपालन के पश्चात् समुचित और पर्याप्त आधार पर समाप्त कर सकते हैं।

122. गंभीर अनियमितताओं के मामले में आगे की नियुक्ति से वंचित करना

यदि सांविधिक लेखापरीक्षक के व्यावसायिक कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर अनियमितताएं पाई जाती हैं, तो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, यदि आवश्यक समझे तो, उनके द्वारा नियुक्त समिति की अनुशंसा पर और सांविधिक लेखापरीक्षक को अभिवेदन प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देने के बाद ऐसी अवधि जो उचित समझी जाए के लिए एक सरकारी कम्पनी या मानी गई सरकारी कम्पनी के लेखापरीक्षक के रूप में आगे की नियुक्ति से वंचित कर सकते हैं और

मामले को सांविधिक लेखापरीक्षक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया को भी भेज सकते हैं।

123. वार्षिक लेखे के संदर्भ में उत्तरदायित्व

जबकि सांविधिक लेखापरीक्षक सरकारी कम्पनी या मानी गई सरकारी कम्पनी के वार्षिक लेखाओं पर राय बनाने और व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है, उसे उचित रूप से तैयार करने का उत्तरदायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों के रखरखाव, आंतरिक नियंत्रण और कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा के संबंध में उनके उत्तरदायित्व से प्रबंधन को मुक्त नहीं करता है।

(घ) सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा

124. सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की भूमिका

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक निम्नांकित के लिए प्राधिकृत है:

- (1) सांविधिक लेखापरीक्षक जिस ढंग से कम्पनी के लेखाओं की लेखापरीक्षा करेंगे उसका निर्देश देना और ऐसे लेखापरीक्षक को उसके कार्यों के निष्पादन से संबंधित किसी मामले के संबंध में अनुदेश देने; और
- (2) कम्पनी की लेखाओं की अनुपूरक अथवा नमूना लेखापरीक्षा करना।

125. सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा का कार्यक्रम तैयार करना

दक्ष एवं समयोचित ढंग से प्रभावी लेखापरीक्षा करने के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक को कम्पनी और महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के परामर्श से लेखापरीक्षा का कार्यक्रम तैयार करना चाहिए और अपने कार्य की योजना निम्नवत बनानी चाहिए:

- (1) लेखापरीक्षा योजना बनाने के लिए कार्यकलापों, लेखाकरण और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की समझ प्राप्त करना और लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं अभिकल्पित करना तथा लेखापरीक्षा जोखिम का निर्धारण करना एवं स्वीकार्य न्यूनतम स्तर तक जोखिम को कम करने के लिए प्रभावी लेखापरीक्षा अभिगम का विकास करना;
- (2) सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों की समझ और लेखापरीक्षा में उपयोग के लिए उपलब्ध आंकड़े प्राप्त करना;
- (3) प्रत्याशित लेखापरीक्षा परिधि और संचालन के लिए एक समग्र योजना का विकास करना और कम्पनी के स्वरूप, कार्यों और प्रचालनों की समझ और लेखापरीक्षा के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के निर्देशों के आधार पर लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का स्वरूप, समय और विस्तार दर्शाते हुए एक लिखित लेखापरीक्षा कार्यक्रम तैयार करना;
- (4) कम्पनी के प्रबंधन और महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के साथ समग्र योजना और लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के महत्वपूर्ण तत्वों पर विचार-विमर्श करना;

- (5) यह सुनिश्चित करना कि लेखापरीक्षा कार्यक्रम में पर्याप्त विवरण शामिल हैं ताकि यह लेखापरीक्षा में शामिल स्टाफ के लिए अनुदेशों के एक सेट और कार्य के उचित निष्पादन को नियंत्रित करने के साधन के रूप में काम कर सके;
- (6) कम्पनी के प्रबंधन और महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को सूचित करने के साथ लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा योजना को जैसा आवश्यक समझा जाए, आगे संशोधित और विकसित करना;
- (7) स्टाफ को गुणवत्ता नियंत्रण नीतियाँ और प्रक्रियाएँ इस ढंग से सूचित करना जो समुचित आश्वासन उपलब्ध कराए कि इन नीतियों और प्रक्रियाओं को समझ लिया गया है और कार्यान्वित किया गया है;
- (8) यह सुनिश्चित करने के लिए कि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षण और आश्वासन मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की गई है, गुणवत्ता नियंत्रण नीति और अभिकल्पित प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन करना; और
- (9) निष्पादित कार्य गुणवत्ता के उचित मानकों को पूरा करते हैं पर समुचित आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए सभी स्तर पर लेखापरीक्षा के कार्य की समीक्षा और पर्यवेक्षण करना।

126. सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा प्रलेखन

सांविधिक लेखापरीक्षक उन मामलों का कामकाजी पेपरों के रूप में प्रलेख सज्जित करेगा जो यह साक्ष्य मुहैया करने में महत्वपूर्ण हैं कि लेखापरीक्षा इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षण और आश्वासन मानकों तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के निर्देशों के अनुसार की गई है। कामकाजी पेपरों में लेखापरीक्षा योजना के अभिलेख, निष्पादित लेखापरीक्षण प्रक्रियाओं का स्वरूप, समय और विस्तार, लेखापरीक्षा साक्ष्य और प्राप्त साक्ष्य से निकाले गये निष्कर्ष शामिल होंगे। सभी महत्वपूर्ण विषय जिन पर निर्णय लेना अपेक्षित है, उन पर सांविधिक लेखापरीक्षक के निष्कर्ष के साथ, कामकाजी पेपरों में शामिल किये जा सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी परिवेश में लेखापरीक्षा में कुछ लेखापरीक्षा साक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो सकते हैं। ऐसे मामले में सांविधिक लेखापरीक्षक अपने-आपको संतुष्ट करेगा कि ऐसे साक्ष्य को पर्याप्त और सुरक्षित रूप से रख लिया गया है और जब कभी आवश्यकता होगी वह पूर्णतः पुनः प्राप्ति योग्य होगा।

127. सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करना

लेखापरीक्षा के समापन पर सांविधिक लेखापरीक्षक कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अपना लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करेगा और महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को एक प्रति प्रस्तुत करेगा।

128. अभिशासन के विषयों को लेखापरीक्षा को सूचित करना

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अपने प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के समय सांविधिक लेखापरीक्षक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया के सुसंगत लेखापरीक्षण और

आश्वासन मानक के अनुपालन में कम्पनी के प्रबंधन को उसके द्वारा जारी अभिशासन के विषयों से संबंधित पत्र व्यवहार की एक प्रति महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को भी अग्रेषित करेगा।

129. महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के प्रति सांविधिक लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

सांविधिक लेखापरीक्षक यह भी करेगा कि:

- (1) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय और महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के साथ, जब कभी आवश्यकता होगी विचार-विमर्श के लिए स्वयं उपलब्ध होगा;
- (2) महालेखाकार (लेखापरीक्षा) की अनन्तिम टिप्पणियों के जारी होने के तीन दिन के अंदर जवाब प्रस्तुत करेगा और यदि आवश्यकता होगी तो अनन्तिम टिप्पणियों पर विचार-विमर्श करने के लिए कम्पनी के प्रबंधन के साथ महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा बुलायी गई बैठक में उपस्थित होगा;
- (3) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुपालन में लेखापरीक्षा समिति, यदि गठित है, की बैठक में उपस्थित होगा;
- (4) किए गए कार्य के कामकाजी पेपरों का पर्याप्त ब्यौरों के साथ, अपनी अभ्युक्तियों और निष्कर्षों के समर्थन हेतु पांच वर्ष तक अभिलेख रखेगा जब तक लम्बी अवधि के लिए अपेक्षित न हो;
- (5) जहां उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दिये गये निष्कर्षों की प्रामाणिकता और यथातथ्यता को सत्यापित करने की आवश्यकता समझी जाए, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अपने कामकाजी पेपरों के हिस्सों को या उद्धरणों को उपलब्ध कराएगा; और
- (6) उसे जारी निर्देशों के अनुपालन में कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत एक प्रतिवेदन महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के माध्यम से नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को प्रस्तुत करेगा।

(ड़) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा पूरक लेखापरीक्षा

130. लेखापरीक्षा को विधिवत स्वीकृत और लेखापरीक्षित लेखे उपलब्ध कराना

कम्पनी निदेशक बोर्ड द्वारा विधिवत स्वीकृत और सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखा तथा कोई अन्य विवरण या दस्तावेज जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखा (वार्षिक लेखाओं के रूप में घोषित) का भाग या अनुबंध है, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को समय से अंतिम रूप देने और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां जारी करने, और फलतः कम्पनी अधिनियम, 1956 में निर्धारित समय के अन्दर कम्पनी की वार्षिक आम बैठक करने के लिए, लेखा वर्ष समाप्ति के पश्चात् तीन महीने के अंदर उपलब्ध कराए जाएंगे। कम्पनी, जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है के मामले में महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कथित तारीख एक महीना तक बढ़ा सकते हैं।

131. लेखापरीक्षा को कम्पनी के अभिलेख उपलब्ध कराना

कम्पनी, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के अधिकारियों को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत उनके कर्तव्यों और कार्यों के निर्वहन के लिए अपेक्षित लेखा पुस्तकें, वाउचर, आंकड़े, सूचना और अन्य दस्तावेज शीघ्र मुहैया कराएगी।

132. पूरक लेखापरीक्षा की परिधि

सांविधिक लेखापरीक्षक कम्पनी के लेखाओं पर राय व्यक्त करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखाओं की पूरक लेखापरीक्षा, जैसी इसकी परिभाषा है, मुख्य रूप से लेखाओं की वित्तीय लेखापरीक्षा के गुणवत्ता नियंत्रण का एक साधन है जो सांविधिक लेखापरीक्षक के सुविचारित चयन से आरंभ होता है और उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निकाले गये निष्कर्षों की समीक्षा सहित उसके कार्य पर किये जा रहे निरीक्षण के साथ जारी रहता है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा किसी सरकारी कम्पनी और मानी गई सरकारी कम्पनी के वार्षिक लेखाओं की पूरक लेखापरीक्षा की परिधि में चयनित लेखाकरण अभिलेखों की जांच और कम्पनी के वार्षिक लेखाओं पर उनके द्वारा व्यक्त राय सहित सांविधिक लेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की समीक्षा को सम्मिलित किया जाएगा।

133. कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

पूरक लेखापरीक्षा में की गई सार्थक और महत्वपूर्ण अभ्युक्तियों को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणी के रूप में सांविधिक लेखापरीक्षक और कम्पनी के प्रबंधन की राय, यदि कोई है, पर विचार करने के बाद जारी किया जाएगा।

134. वार्षिक साधारण बैठक के समक्ष टिप्पणियों को प्रस्तुत करना

कम्पनी के लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अथवा उसके संपूरक पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की गई टिप्पणी पर महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा हस्ताक्षर किये जाएंगे और उन्हें सांविधिक लेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की तरह उसी समय और उसी ढंग से कम्पनी की वार्षिक साधारण बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

135. पूरक लेखापरीक्षा को अभिमुक्त करने का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्राधिकार

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक अपने विवेक से किसी वर्ष विशेष के लिए किसी कम्पनी के लेखाओं की पूरक लेखापरीक्षा को अभिमुक्त कर सकते हैं।

(च) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नमूना लेखापरीक्षा

136. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नमूना लेखापरीक्षा की परिधि

सरकारी कम्पनी या मानी गई सरकारी कम्पनी के वार्षिक लेखाओं की पूरक लेखापरीक्षा के अतिरिक्त नियंत्रक-महालेखापरीक्षक वर्ष के दौरान नमूना लेखापरीक्षा कर सकते हैं। इस लेखापरीक्षा में कम्पनी द्वारा किए गए संव्यवहार शामिल होंगे जो उनकी नियमितता, औचित्य, सत्यनिष्ठा, मितव्ययिता, दक्षता एवं प्रभावकारिता की जांच करने तथा विधियों, नियमों, विनियमों के अनुपालन की विफलता, अपशिष्ट, कुप्रबंधन, अन्य अनियमितताओं और

धोखाधड़ी के मामले पर रिपोर्ट करने की दृष्टि से है। नमूना लेखापरीक्षा की परिधि एक वित्तीय वर्ष से अधिक हो सकती है।

लेखापरीक्षा सुसंगत अध्यायों में विनियमों के अनुसार की जाएगी।

(छ) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए लेखापरीक्षा बोर्ड

137. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए लेखापरीक्षा बोर्ड की स्थापना

किसी कार्यकलाप, कार्यक्रम या संगठन को निर्दिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मितव्ययिता, दक्षता एवं प्रभावकारिता से किस स्तर तक प्रचालित किया जाता है को अभिनिश्चित करने के विचार से नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने भारत सरकार के परामर्श से केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए लेखापरीक्षा बोर्ड की स्थापना की है। लेखापरीक्षा बोर्ड केन्द्रीय सरकारी कम्पनियों के निष्पादन के निर्णायक क्षेत्रों पर केन्द्रित आवधिक अन्तरालों पर की गई निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए स्थाई निकाय है। लेखापरीक्षा बोर्ड विषयक मुद्दों पर केन्द्रीय सरकारी कम्पनियों के निष्पादन की समीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है। मुद्दे एक विशेष सत्त्व या कई सत्त्वों से संबंधित हो सकते हैं। निष्पादन लेखापरीक्षा की परिधि को एक वित्तीय वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है।

138. लेखापरीक्षा बोर्ड का गठन

उपनियंत्रक महालेखापरीक्षक (वाणिज्यिक) लेखापरीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष होंगे जिसमें सदस्य के रूप में समय-समय पर यथा अधिसूचित भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा नियुक्त सम्बन्धित क्षेत्र के एक या दो तकनीकी विशेषज्ञ विशेष आमंत्रित सहभागी हो सकते हैं। लेखापरीक्षा बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।

139. लेखापरीक्षा बोर्ड की भूमिका

लेखापरीक्षा बोर्ड परामर्शी और अनुशंसात्मक क्षमता में कार्य करेगा।

140. लेखापरीक्षा बोर्ड की बैठकें

लेखापरीक्षा बोर्ड की बैठकें उपलब्ध सदस्यों से की जाएगी और उसमें कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेखापरीक्षा बोर्ड का सचिव लेखापरीक्षा बोर्ड की बैठकों का कार्यवृत्त रखेगा।

141. विषयों के चयन तक स्वयं को सीमित करने के लिए लेखापरीक्षा बोर्ड का स्वनिर्णय

लेखापरीक्षा बोर्ड अपने स्वनिर्णय से स्वयं को निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए विषयों के चयन हेतु सिफारिश करने तक सीमित कर सकता है और उसके बाद महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा लेखापरीक्षा बोर्ड को कोई और संदर्भ दिए बिना लेखापरीक्षा की जा सकती है। अध्याय 7 में निर्धारित विनियम ऐसे मामलों में लागू होंगे।

142. लेखापरीक्षा बोर्ड की अनुवर्ती बैठकें

जहां लेखापरीक्षा बोर्ड निष्पादन लेखापरीक्षा के निर्देशन के लिए निर्णय लेता है, वहां पर निम्न के लिए बैठक होगी:

- (1) लेखापरीक्षा उद्देश्य, मानदंड, मार्गनिर्देश और कार्यप्रणाली पर विचार और अनुशंसा करने; और
- (2) ड्राफ्ट लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर विचार करने और इनको अंतिम रूप देने के लिए अनुशंसा करने हेतु।

143. लेखापरीक्षा बोर्ड की बैठक में उपस्थित होने के लिए कम्पनी और विभाग के प्रतिनिधियों की आवश्यकता

लेखापरीक्षा बोर्ड पूर्ववर्ती विनियम के खंड (2) में संदर्भित बैठक में उपस्थित होने के लिए कम्पनी और सरकारी विभाग के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करेगा। कम्पनी का मुख्य कार्यकारी और संबंधित विभाग के सरकार के सचिव ऐसी बैठक में भाग लेंगे तथा कोई अलग एक्जिट कान्फ्रेंस नहीं होगी। इस धारा में प्रावधानों के अध्याय 7 के विनियम लागू होंगे।

(ज) राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की निष्पादन लेखापरीक्षा

144. निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए विनियमों का अनुप्रयोग

अध्याय 7 में विहित विनियम राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की निष्पादन लेखापरीक्षा पर आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(झ) लेखापरीक्षा परिणाम

146. लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा परिणाम शामिल करना

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सरकारी कम्पनियों या मानी गई सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा के परिणाम भी शामिल किये जा सकते हैं। तथापि, लेखापरीक्षा में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित मामलों पर सरकारी कम्पनी या मानी गई सरकारी कम्पनी और सरकार को अपना स्पष्टीकरण देने के लिए उचित अवसर दिए बिना लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कोई टिप्पणी शामिल नहीं की जाएगी।

147. सरकार और विधान मंडल को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण

सरकारी कम्पनी या मानी गई सरकारी कम्पनी के लेखाओं के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संबंधित सरकार को अधिनियम की धारा 19ए के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार इस प्रकार प्राप्त प्रत्येक प्रतिवेदन को संसद/राज्य विधान मंडल, जैसा मामला हो, के प्रत्येक सदन में रखेगी। इसके अध्याय 15 के प्रावधान लागू होंगे।

148. लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के निपटान और 'लेखापरीक्षा बकाया समिति' के गठन का उत्तरदायित्व

केन्द्र और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों दोनों के मामले में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के निपटान का उत्तरदायित्व कम्पनी के प्रबंधन पर होता है। निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल अधिसंख्य लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के दो वर्षों से अधिक समय से बकाया रहने की हालत में प्रत्येक ऐसी कम्पनी बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के शीघ्र समाधान और निपटान के लिए कम्पनी के समुचित वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल कर एक 'लेखापरीक्षा बकाया समिति' का गठन करेगी। संबंधित सरकार इन समितियों के गठन और उनके प्रभावकारी कार्य को सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई कर सकती है।